

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सा. 671)/2019/ दिनांक:-

आदेश


श्रीमती पूनम कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता खण्डा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा, कोटा को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 01.12.2016 से 10.12.2016 तक 10 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

^{Sid}
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सामा-671)/2019/ 1178 दिनांक:- 7-8-019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
2. खण्डा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा, कोटा।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर